राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/17–18/33690-700 दिनांक : 29.08.19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : रा.उ.मा.वि, चिरवा में खेल मैदान एवं चार दीवारी निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 28118–22 दिनांक 16.07.2019 द्वारा रा.उ.मा.वि, चिरवा में खेल सुविधा विकास संबंधित निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 13.00 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे निम्नलिखित कार्य की पंचायत समिति बडगांव से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि 13.00 लाख प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं.–7 मे वर्णित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी–ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशा.स्वी. राशि	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रा.उ.मा.वि, चिरवा में खेल मैदान एवं चार दीवारी निर्माण हेतु ग्रा.प. चिरवा	चिरवा	बडगांव	13.00	AEN/PS Bargaon/ 46 /02.08.19	13.00

चार दीवारी निर्माण–लम्बाई 532 फीट, उॅचाई 5.25 फीट राशि रू. 8.03 लाख
खेल मैदान–समतलीकरण, फुटबॉल, ट्रेक, कबड्डी, बैडमिंटन आदि राशि रू. 4.97 लाख

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–15/2018–19 द्वारा **खेल सुविधाओ का विकास हेतु** प्राप्त राशि मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

खेल मैदान निर्माण कार्य संपादन हेतु खेल विशेषज्ञों की सहायता ली जाना सुनिश्चित करें।

शर्ते–

1. **यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।**
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावें।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. स्वीकृत कार्यो का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य के गुणवत्ता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति जारी कर्ता की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फोटोग्राफ प्रस्तुत करे। प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करावे।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले)I.A.S
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल सुविधा विकास/17–18/33690-700 दिनांक 29.08.19

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–15/2018–19 द्वारा खेल सुविधाओ का विकास हेतु प्राप्त राशि मे से राशि रू. 13.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तान्तरित करे।
6. निदेशक मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर ।
9. प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिरवा पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर ।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
Com,Website www.tad.rajasthan.gov.in ई–मेल : comm.tad @gmail.com

(12)